

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0 :- 3/अ0प्र0-1-127/2022

/पटना, दिनांक :-

श्री सतीश रजक, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया के विरुद्ध बेगुसराय जिला अंतर्गत साहेबपुर कमाल प्रखंड में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया के अधीन नाबार्ड राज्य सम्पोषित योजनान्तर्गत बूढी गंडक नदी पर निर्माणाधीन उच्चस्तरीय पुल का पियर टूटने एवं क्षतिग्रस्त होने के आरोप में विभागीय कार्यालय आदेश सं0-12-सह-पठित ज्ञापांक 133 अनु0 दिनांक 12.01.2023 के द्वारा मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है।

श्री रजक, कनीय अभियंता दिनांक 31.10.2024 को सेवानिवृत्त हो गये हैं। अतः उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

Skumar
29/01/25
(संजय कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-127/2022 1484 /पटना, दिनांक :- 4.2.25

प्रतिलिपि :- संचालन पदाधिकारी-सह-मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग/ संबंधित प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी/श्री सतीश रजक, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया सम्प्रति सेवानिवृत्त कार्य प्रमंडल, टिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-4 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Skumar
29/01/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-127/2022 1484 /पटना, दिनांक :- 4.2.25

प्रतिलिपि :- आईटी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Skumar
29/01/25
अवर सचिव